

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/30/2019

अपीलार्थी:-

दीपेन्द्र आर्य ग्राम पोस्ट भुनगडा अहीर वाया  
करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद  
अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 21-05-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09.03.19 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.05.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 7634 दिनांक 13.05.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 09.03.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 7634 दिनांक 13.05.19 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत एवं वृहत होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (ण) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना का निरीक्षण कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलक्टर अलवर  
अलवर (राज०)